

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री रमेश चन्द जैन, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अरनोद प्रतापगढ (प्रधानाचार्य समकक्ष) कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अरनोद प्रतापगढ मे कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 10.08.1960 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 10.01.1989 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.05.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 01.05.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री रमेश चन्द जैन, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 22-2-18

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/रमेश चन्द/2017

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक), प्रतापगढ
4. श्री रमेश चन्द जैन, बीईईओ (प्रधानाचार्य समकक्ष) कार्या. बीईईओ अरनोद प्रतापगढ
5. ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अरनोद प्रतापगढ
6. सहायक निदेशक (राजपत्रित) प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर